संख्या-117/2016/617/71-1-2016-जी-309/2008

प्रेषक,

जयवीर सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 10 मई, 2016

विषयः- राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, झॉसी, गोरखपुर तथा मेरठ में ट्रामा सेन्टर के संचालन हेतु विभिन्न श्रेणी के पदों के सृजन संबंधी शासनादेश दिनॉक 11-01-2016 में संशोधन किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई-1/2016/364, दिनॉक 11-02-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-5/2016/10/71-1-2016-जी-309/2008, दिनॉक 11-01-2016 के प्रस्तर-5 में त्रुटिवश लेखाशीर्षक "उक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-39-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर-40-मेडिकल कालेज, इलाहाबाद-42-मेडिकल कालेज, झॉसी-43-मेडिकल कालेज, गोरखपुर-41-मेडिकल कालेज, मेरठ के वेतनादि के सुसंगत इकाईयों के नाम डाला जायेगा।" का उल्लेख हो गया है। अतः उक्त के स्थान पर लेखाशीर्षक "उक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-39-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर-40-मेडिकल कालेज, इलाहाबाद-42-मेडिकल कालेज, झॉसी-43-मेडिकल कालेज, गोरखपुर-41-मेडिकल कालेज, मेरठ-38-मेडिकल कालेज, आगरा के वेतनादि के सुसंगत इकाईयों के नाम डाला जायेगा।" पढ़ा जाए।

2- उपर्युक्त शासनादेश संख्या-5/2016/10/71-1-2016-जी-309/2008, दिनॉक 11-01-2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष शर्ते यथावत् रहेंगी। भवदीय

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

संख्याः- 117/2016/617(1)/71-1-2016 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, झॉसी, गोरखपुर तथा मेरठ।
4- कोषाधिकारी, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, झॉसी, गोरखपुर तथा मेरठ।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, झॉसी, गोरखपुर तथा मेरठ।
6- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/गार्ड फाइल। आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।